

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 1371

दिनांक 30/05/24

प्रार्थी:-

1.मूलाराम पुत्र नीम्बाराम
जाति भील,
निवासी भीलों का वास,रबासर
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.खीमाराम 2.पदमाराम 3.लखाराम 4.जैसाराम 5.नगाराम पि
नाथाराम 6.मोती 7.रगला पि.अजीम, जाति भील, निवासी
भीलों का वास, 8.शिवलाल पुत्र मुकनाराम, जाति महाराज
निवासी अदरीम का तला, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 166/2023

दिनांक : 30.05.2024

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र
रबासर के मौजा भीलों का वास के खेत खसरा सं. 307/128, 310/129, 311/129, 225
रकबा क्रमशः 00.6070, 02.9785, 02.9137, 01.4326 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम
स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश
आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के स्वस्व
मुस्तकिल/स्थार्ड विन्दु को आधार मानकर विधिमम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना
रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 1372 to 1375

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी मूलाराम
3. विप्रार्थीगण खीमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 30/05/24

